मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल–462004

आदेश

क्रमांक /एफ 17–1/19/बी/2010 भोपाल, दिनांक .05.2016

केन्दीयकृत पंजीयन व्यवस्था के तहत ठेकेदारों के पंजीयन के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के संबंध मे निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है:–

1. म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक 7882/9671/19/यो भोपाल दिनांक 19.11.1999 के अनुसार ठेकेदारों के पंजीयन के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे। तत्पश्चात शासन के आदेश क्रमांक एफ 17–1/2010/19/बी भोपाल दिनांक 24.03.2015 द्वारा इस संबंध में नवीन निर्देश जारी किये गये है। अतः पूर्व मे जारी उपरोक्त संदर्भित आदेश दिनांक 19.11.1999 तत्काल प्रभाव से अधिक्रमित किया जाता है।

2. म.प्र0. शासन लोक निर्माण विभाग के आदेश एफ 17–1/2010/19/बी भोपाल दिनांक 17.08.2011 द्वारा ठेकेदारों के पंजीयन के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के संबंध मे दिनांक 19.11.1999 को जारी आदेश के संबंध मे प्रक्रियात्मक कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। इस आदेश को म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17–1/बी/19/2010 भोपाल दिनांक 11.05.2015 द्वारा अधिक्रमित किया गया है।

3. अतः वर्तमान में प्रचलित नियमों के अंतर्गत ठेकेदारों के पंजीयन के विरूद्ध केवल पंजीयन निलंबन अथवा काली सूची में नाम डालने की व्यवस्था है। शासन चाहता है कि यह कार्यवाही निम्नानुसार की जाये।

अ. यह कार्यवाही संबंधित विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा की जायेगी। जिसकी विधिवत सूचना संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा मुख्य अभियंता, योजना एवं बजट (राज्य पंजीकरण अधिकारी) प्रमुख अभियंता कार्यालय लोक निर्माण विभाग भोपाल को तीन दिवस के अंदर दी जाना होगी। इसके अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं को संबंधित वेबसाईट पर यूजर आई डी एवं पासवर्ड दिये गये है। अतः मुख्य अभियंता ठेकेदार के पंजीयन के विरूद्ध की गई कार्यवाही आदेश जारी करने के साथ ही वेबसाईट पर दर्ज किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे। यदि संबंधित विभाग में मुख्य अभियंता स्तर का अधिकारी नही है तो यह कार्यवाही उस विभाग की अनुशंसा के आधार पर उस जिले से संबंधित लोक निर्माण विभाग के परिक्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा की जायेगी। मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग इसकी सूचना राज्य पंजीकरण अधिकारी लोक निर्माण विभाग को दी जाने के अतिरिक्त इसे वेबसाईट पर दर्ज करायेगी। राज्य पंजीकरण अधिकारी संबंधित मुख्य अभियंताओं से सूचना प्राप्त हाने पर यह सुनिश्चित करेंगे कि तत्संबंधी प्रविष्टि वेबसाईट पर कर दी गई हे अन्यथा वे स्वयं उसे तत्काल वेबसाईट पर दर्ज करवायेगे।

ब. मुख्य अभियंताओं द्वारा ठेकेदारों के पंजीयन के विरूद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में अपील संबंधित विभाग के प्रमुख अभियंता/प्रबंध संचालक/विभाग प्रमुख को 90 दिवस मे प्रस्तुत करना होगी।

स. अपील के निपटारे के संबंध मे संबंधित विभाग के प्रमुख अभियंता/प्रबंध संचालक/विभाग प्रमुख द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम मान्य होगा।

द. अपील पर निर्णय की प्रति संबंधित अपीलीय प्राधिकारी निर्णय के तीन दिवस के भीतर राज्य पंजीकरण अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को दी जाना होगी। इसके आधार पर राज्य पंजीकरण अधिकारी वेबसाईट पर ठेकेदार के पंजीयन की अद्यतन स्थिति दर्ज करेंगे।

इ. यह व्यवस्था आदेश जारी होने के दिनांक से समस्त कार्य विभागो, निगम/मण्डल तथा बोर्ड में लागू की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

पृ. क्रमांक एफ 17–1/19/बी/2010/392 **भोपाल दिनांक 3 .05.2016**

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव म.प्र. शासन भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/लोक निर्माण विभाग/नगरीय प्रशासन विकास विभाग मंत्रालय।
4. प्रबंध संचालक, एम.पी.आर.डी.सी. भोपाल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम.आर.आर.डी.ए भोपाल।
6. प्रबंध संचालक पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन भोपाल।
7. आयुक्त, म.प्र. अधोसंरचना बोर्ड भोपाल।
8. आयुक्त, नगरीय प्रशासन भोपाल।
9. प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण यांत्रिकी विभाग/परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग परियोजना कियान्वयन इकाई, निर्माण भवन अरेरा हिल्स भोपाल।
10. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग.......................................भोपाल।
11. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पी0आई0यू ....
12. राज्य पंजीकरण अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग,अरेरा हिल्स भोपाल।
13. आई.टी.सेल कार्यालय प्रमुख अभियता लोक निर्माण विभाग भोपाल को उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

3/5/16

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

635
4/5/2016
upload on website
04/05

Scan
website on 3/5/2016
upload
4-5-16